

विचारण

(1) पात्रता के लिए, समाचारपत्र/फिल्म पत्रिका की प्रसार-संख्या कम से कम 2000 प्रतिदिन, जो भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा प्रमाणित हों, होनी चाहिए और उस में फिल्म कालम होना चाहिए।

(2) इस में मणिपुर, मिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा जम्मू व काश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के मामले में छूट दी जा सकती है।

(3) एक समाचारपत्र/ऐजेंसी धाम तौर से एक प्रत्यय-पत्र की हकदार होगी। तथापि, बड़ी प्रसार-संख्या वाले समाचारपत्रों को दो प्रत्यय-पत्र देने के बारे में विचार किया जा सकता है।

(4) चार मुख्य समाचार एजेंसियों अर्थात् प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज अफ इंडिया, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को दो-दो प्रत्यय-पत्र देने का निर्णय किया गया था।

(5) गम्भीर फिल्म प्रालोचना छापने वाली फिल्म सोसाइटी पत्रिकाओं को प्रत्यय-पत्र देने के बारे में विचार किया जा सकता है। (यद्यपि धाम तौर पर वे इस की पात्र नहीं हैं)। प्रत्यय-पत्रों की संख्या 10-12 तक सीमित होगी।

(6) व्यापार पत्रिकाओं को प्रत्यय-पत्र नहीं दिए जावेंगे।

(7) प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध सम्पादक प्रत्यय-पत्र पाने के पात्र नहीं होंगे।

(8) "प्रख्यात फिल्म प्रालोचक" की श्रेणी के अन्तर्गत ऐसे संवाददाताओं को भी प्रत्यय-पत्र देने का निर्णय किया गया था जिन के नाम किसी भी पत्रिका द्वारा भेजे नहीं जाते, किन्तु ग्रन्थया वे फिल्म पत्रिकारिता में प्रख्यात व्यक्ति हों।

सातवें फिल्म समारोह में भेजे गये टिकट

1151. श्री हुरयोबिन्दु वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें फिल्म समारोह में विभिन्न श्रेणी के टिकट कम संख्या में भेजे गये;

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो छठे और सातवें फिल्म समारोह में अलग-अलग भेजे गये टिकटों की श्रेणीवार संख्या क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री ज्ञान कुम्भ आड-बाजी) : (क) टिकटों से प्राप्त राजस्व के आधार पर सीटी तुलना से यह पता चलता है कि भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान बिके टिकटों

की संख्या भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान बिके टिकटों की संख्या से कम थी।

(ख) भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की तुलना में भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान टिकटों की अपेक्षाकृत कम बिक्री के कुछ कारण इस प्रकार हैं :—

(1) भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रविष्ट फिल्मों की कुल संख्या फिल्मों का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिये सीमित कर दी गई थी। भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान दिखाई गई लगभग 300 फिल्मों की तुलना में भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान फिल्मों की संख्या, भारतीय पनोरमा की फिल्मों को छोड़कर, लगभग 140 रही गई।

(2) भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लिये गए 14 सिनेमा-घरों की तुलना में भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान केवल 10 सिनेमाघर ही लिए गए।

(3) भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और 25 रुपए वाले टिकटों की तुलना में भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए वाले टिकट थे।

(4) भारत के छठे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान टिकटों की अन्धाधुन्ध बिक्री हुई थी जिस से लोगों को समारोह के टिकट परिकल्पना से खरीबने पड़े तथापि भारत के 7वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान सामान्य जनता के लिए टिकटों की बिक्री विभिन्न सिनेमाघरों पर प्रदर्शन कार्यक्रम की घोषणा के बाद बृद्ध की गई। कोटि की फिल्मों के प्रति विशेषकर ऊँची दरों वाले टिकटों में जनता की रुचि अधिक नहीं थी।

(ग) उक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Representation for setting up of High Court Bench in Trivandrum

1152. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation for setting up of a High Court Division Bench in Trivandrum (Kerala); and

(b) if so, what are the steps taken?